न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 57/2021–22

आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी

आवेदक स्टेफन राजेश्वर बेक, पिता स्व0 सिलबानुस बेक जाति उरॉव, ग्राम सेमरा अम्बेराडीह, जाति उरॉव, थाना – पालकोट, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नाकिंत विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरणी

राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन किस्म
सेमरा	05	105	300	1.47 एकड़ भूमि में से 0.20 एकड़	

कुल रकबा 0.20 एकड़(बीस डिसमील)

प्लॉट सं0 300 का चौहदी :– उत्तर में – नीज बिक्रेता दक्षिण में – नेहा बड़ाईक, पुरब में – एन0एच0रोड़, पश्चिम में – नीज ब्रिकेता।

जमीन विक्रेता का विवरणी

स्टेफन राजेश्वर बेक, पिता स्व0 सिलबानुस बेक जाति उरॉव, ग्राम सेमरा अम्बेराडीह, थाना – पालकोट, जिला – गुमला

जमीन केता का विवरणी

थेयोदोर सोरेंग, पिता इमिल सोरेंग, जाति खड़िया, ग्राम सेमरा अम्बेराडीह, थाना – पालकोट, जिला– गुमला ।

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित **केता** थेयोदोर सोरेंग, पिता इमिल सोरेंग, जाति खड़िया, ग्राम सेमराडही अम्बेराडीह, थाना – पालकोट, जिला– गुमला को राशि रूपये 1,00,000 (एक लाख) रूपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हर बैल खरीदने हेतु रूपय की आवश्यकता है। रूपये आने का अन्य कोई श्रोत नहीं होने के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी, पालकोट को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

की मांग की गई एवं आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, पालकोट के कार्यालय के पत्रांक 640(ii) दिनांक 02/12/2021 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास प्रयाप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति उरॉव एवं खड़िया के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, पालकोट के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त विवरण की भूमि को आवेदक स्टेफन राजेश्वर बेक, पिता स्व0 सिलबानुस बेक जाति उरॉव, ग्राम सेमरा अम्बेराडीह, थाना – पालकोट जिला– गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता बसिया (गुमला)	भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता बसिया (गुमला)

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.16 14:38:05 +05:30
Location: 192.168.1.10